

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा की बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत जल निगम आगरा द्वारा डी.एस.टी.पी. के निर्माण कार्य में 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि विषयक प्रस्ताव में परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ताक्षर

A. K. Singh

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक

आगरा वृत्त, आगरा।